न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **12 / 2017** रसद

राज्य सरकार जरिये प्रद्युम्नसिंह प्रवर्तन अधिकारी

.....**अपीलार्थी**

बनाम

व्यवस्थापक, मैसर्स जय वैभव लक्ष्मी महिला गृह उद्योग सहकारी समिति, सेन्टर कानपुर, तहसील गिर्वा

.....**विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001 के क्लॉज 10 के तहत जब्तशुदा 176.5 लीटर केरोसीन तथा 1 क्विंटल चीनी को राज्यसात करने के कम में

उपस्थितः— 1. श्री विजयसिंह राठौड़, पैरोकार सरकार
2. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता विपक्षी

—: निर्णय :—

दिनांकः— 04.06.18

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि संयुक्त जॉच दल द्वारा दिनांक 22.07.17 को मैसर्स जय वैभव लक्ष्मी महिला गृह उद्योग सहकारी समिति उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कानपुर तहसील गिर्वा की मौके पर पहुॅचकर जॉच दल द्वारा श्री अशोक कुमार जैन व्यवस्थापक समिति की उपस्थिति में जॉच की गई। जॉच में संधारित किया गया स्टॉक रजिस्टर पॉस मशीन एवं वितरण में अन्तर भिन्नता पायी गई। पॉस मशीन में स्टॉक का इन्द्राज सही रूप से नहीं किया हुआ पाया गया। दुकान में भौतिक सत्यापन करने पर गेहूॅ 32 कट्टे वजन 16 क्विंटल, केरोसीन 250 लीटर तीन ड्रमो में तथा चीनी 138.500 किलोग्राम स्टॉक में मिली। जॉच करने पर 429 क्विंटल गेहूॅ थोक विक्रेता द्वारा दिनांक 01.09.16 से आपूर्ति की गई। दिनांक 01. 09.16 को गेहूॅ का प्रारम्भिक स्टॉक 12.75 क्विंटल था। इस अवधि में पॉस मशीन से वितरण मात्र 424.15 क्विंटल होना पाया। जिससे शेष स्टॉक 17.6 क्विंटल होना

चाहिये था। परन्तु भौतिक सत्यापन पर 16 क्विंटल ही मिला। इस प्रकार भौतिक सत्यापन पर 1 क्विंटल 60 किलोग्रम गेहूँ कम मिला। इसी प्रकार दिनांक 01.09.16 से जॉच दिनांक तक 2220 लीटर केरोसीन थोक विक्रेता द्वारा आपूर्ति की गई। डीलर के पास दिनांक 01.09.16 का केरोसीन का प्रारम्भिक स्टॉक 336 लीटर दर्ज था। इस प्रकार डीलर के पास वक्त जॉच तक केरोसीन की कुल मात्रा 2556 लीटर हुई। जिसमें से पॉस मशीन से वितरण मात्र 2482.5 लीटर होना पाया गया। शेष स्टॉक 73.5 लीटर होना चाहिये। लेकिन भौतिक सत्यापन पर 250 लीटर केरोसीन मिला। जो स्टॉक के मुकाबले 176.5 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.09.16 से वक्त जॉच तक कुल 7 क्विंटल चीनी की आपूर्ति हुई। दिनांक 01.09.16 को 168 किलोग्राम स्टॉक में दर्ज थी। जिसमें से पॉस मशीन से 829 किलो 500 ग्राम चीनी का वितरण किया गया। भौतिक सत्यापन में 1 क्विंटल 38 किलो 500 ग्राम चीनी पायी गई। जो स्टॉक के मुकाबले 1 क्विंटल अधिक पायी गई। अधिक पाया गया केरोसीन एवं चीनी को मौके पर जब्त कर कानपुर के दुकानदार फतहलाल पुत्र भेरूलाल को सिपुर्दगी में दी गई।

इस प्रकार दुकानदार द्वारा पॉस मशीन से बायोमैट्रीक सत्यापन करवाकर वितरण का फर्जी इन्द्राज कर दुकान में भौतिक सत्यापन कर अधिक मिला केरोसीन व चीनी का वास्तविक रूप से उपभोक्ताओ में वितरण नहीं कर प्रथम दृष्ट्या दुरूपयोग करने की नियत से दुकान में स्टॉक में रखा जाना पाया गया। भौतिक सत्यापन पर दुकान में कम मिला 160 किलोग्राम गेहूँ भी डीलर द्वारा दुरूपयोग किया गया हैं। इसी प्रकार दुकान पर वांछित सूचनाएँ यथा मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड, दुकान खोलने का समय शिकायत अधिकारी का नाम का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया। डीलर द्वारा वक्त जॉच मासिक विवरणी की द्वितीय प्रति मांगने पर प्रस्तुत नहीं की गई। खाद्य सुरक्षा सूची भी चस्पा नहीं होना पाया गया। इस प्रकार मैसर्स जय वैभव लक्ष्मी महिला गृह उद्योग सहकारी समिति, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कानपुर, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित गंभीर अनियमितताएँ कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 11, 17 सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं। साथही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के क्लॉज 10(4)(ii), 10(7) व 11(3) का उल्लंघन किया हैं। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। इस पर जॉच दल की अनुशंषा अनुसार

उकत दुकानदान के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई हैं। अतः जब्तशुदा 176.5 लीटर करोसीन तथा 1 क्विंटल चीनी को राजसात करवाने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं। अपने जवाब में निवेदन किया कि पॉस मशीन आवंटन हुई थी उस समय के भौतिक रेकार्ड का सत्यापन मशीन में दर्ज प्रविष्टी से नहीं हो पाया एवं यही कारण रहा है कि भौतिक स्टॉक जो कि पॉस मशीन के आवंटन के समय भौतिक रूप से था जिसका मिलान मशीन के प्रारम्भिक स्टॉक से नहीं हो पाया जिसके कारण इन्द्राज में भिन्नता रही हैं। हम इन तकनीकि मशीनो को भॅली प्रकार से नहीं समझ पाये है जिस वजह से उक्त अनियमितता आयी हैं। वितरण के समय कुछ ग्राम ज्यादा व कम वितरण के कारण गेहूॅ में छिजत आने के कारण गेहूॅ के स्टॉक में भिन्नता हैं। जबकि कोई दुरूपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जानबुझकर नहीं किया गया हैं। केरोसीन का वितरण नियमित रूप से किया गया हैं। किन्तु कुछ उपभोक्ताओ के गेहूॅ के लिये नाम अन्य दुकान पर है जो इसी गॉव में संचालित हैं। वही से गेहूॅ के साथ साथ केरोसीन की भी पर्ची कट जाती है किन्तु केरोसीन नहीं लिया जाता हैं। लेकिन मशीन में केरोसीन की प्रविष्टी हो जाती हैं। इस तकनीकि त्रुटी के कारण जिन लोगो ने अन्य दुकान से गेहूॅ लिया है उनका नाम केरोसीन के लिये हमारी दुकान पर होने के कारण मशीन के स्टॉक में कमी बतायी हैं। जबकि वास्तविकता में हमारे द्वारा कोई दुरूपयोग सामग्री का नहीं किया गया हैं। इसी वजह से स्टॉक अधिक पाया गया। इसी प्रकार चीनी में भी स्टॉक रजिस्टर में गणितीय त्रुटी के कारण चीनी की मात्रा ज्यादा बतायी गई हैं। बिल वितरण तथा स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया जावे तो केवल मात्र गणितिय त्रुटी के कारण चीनी अधिक पायी गई हैं। अन्य सारे आक्षेप के मामले में निवेदन है कि दुकान के बाहर ए ब्लेक कलर का नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर जो भी कारण हो लिख दिया जाता हैं। उक्त बोर्ड बाहर की तरफ लगा हुआ हैं व दिनांक 22.07.17 को सुबह बारीश हुई थी। कदाचित बारीश की वहज से चौक से लिखी हुई इबारते मिट गई। किन्तु जॉच दल ने इसे त्रुटी माना हैं। जबकि यह त्रुटी सद्भाविक हैं व जानबुझकर कारीत नहीं की गई हैं। अतः निवेदन है कि कोई भी अनियमितता जानबुझकर नहीं बरती गई हैं। सद्भाविक रूप से त्रुटी हुई हैं। इस संबंध मे क्षमा प्रार्थी हैं। उक्त समिति महिलाओ द्वारा संचालित की जाती हैं। जो तकनीकि प्रक्रिया एवं अन्य गम्भीर औपचारिकताओ से अत्याधिक जानकर नहीं हैं।

ऐसी अनियमितता भविष्य में नहीं होगी अतः कार्यवाही को ड्रोप फरमायी जाकर जब्त सामग्री को पुनः सिपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर निवेदन किया कि दिनांक 22.07.17 को उचित मुल्य की दुकान सेन्टर कानपुर की जॉच श्री अशोक कुमार जैन व्यवस्थापक समिति के रूबरू की गई। मौके पर दुकान में पाये गये केरोसीन चीनी व गेहूॅ की भौतिक जॉच करने पर स्टॉक रजिस्टर वितरण एवं पॉस मशीन के आधार पर स्टॉक के मुकाबले 176.5 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। इसी प्रकार 100 किलोग्राम चीनी स्टॉक के मुकाबले अधिक पायी गई एवं भौतिक सत्यापन पर 1 क्विंटल 60 किलोग्राम गेहूॅ स्टॉक के मुकाबले कम पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा पॉस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर वितरण का फर्जी इन्द्राज कर केरोसीन व चीनी का वास्तविक रूप से उपभाक्ताओ को वितरण नहीं कर दुरूपयोग करने की नियत से दुकान में स्टॉक रखा जाना पाया गया एवं गेहूॅ का दुरूपयोग किया गया हैं। इस प्रकार डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का घोर उल्लंघन किया गया है जो 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः जब्त केरोसीन व चीनी को राज्यसात किये जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यो के आधार पर निवेदन किया कि की गई अनियमितताऍ जानबुझकर नहीं की गई हैं। जब पॉस मशीन आवंटीत हुई थी उस समय के भौतिक रेकार्ड का सत्यापन मशीन में दर्ज प्रविष्टी से नहीं हो पाया हैं। यही कारण रहा है कि भौतिक स्टॉक जो कि पॉस मशीन के आवंटन के समय भौतिक रूप से था जिसका मिलान मशीन के प्रारम्भिक स्टॉक से नहीं हो पाया जिसके कारण इन्द्राज में भिन्नता रही हैं। हम इन तकनीकि मशीनो को भॅली प्रकार से नहीं समझ पाये है जिस वजह से उक्त अनियमितताऍ आयी हैं। यह अनियमितता सद्भाविक रूप से हुई हैं। जिसके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं। उक्त समिति महिलाओ द्वारा संचालित की जाती हैं। जो तकनीकि प्रक्रिया एवं अन्य गम्भीर औपचारिकताओ से अत्यधिक जानकार नहीं है एवं उक्त सद्भाविक त्रुटियो के कारण अनियमितता आयी हैं। जिसे क्षमा किया जाना तथा उत्तरदाता के प्रति नरम रूख अपनाया जाना आवश्यक हैं। अतः विपक्षी के विरूद्ध आरोपित प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को इसी स्तर पर खारीज कराना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि

व्यवस्थापक मैसर्स जय वैभव लक्ष्मी महिला गृह उद्योग सहकारी समिति सेन्टर कानपुर का संचालन श्री अशोक कुमार जैन व्यवस्थापक द्वारा किया जा रहा हैं। जिनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में गलती को स्वीकार भी किया हैं। परन्तु यह गलतियॉ प्रथम दृष्ट्या सद्भाविक बतायी गई हैं। परन्तु हम उनके इस कथन से सहमत नहीं है कि पॉस मशीन आवंटन हुई थी उस समय के भौतिक स्टॉक को पॉस मशीन में नहीं लिया गया था। जॉचकर्ताओ द्वारा दिनांक 01.09.16 का जो अन्तिम स्टॉक था उसकी गणना करने के बाद ही स्टॉक रजिस्टर एवं पॉस मशीन से वितरण की सूचना एवं थोक विक्रेता द्वारा उपलब्ध करवायी गई सामग्री के पश्चात् ही बाद जॉच अन्तिम स्टॉक का निर्धारण किया गया हैं। जो उचित हैं। स्टॉक मिलान में की गई गणना में किसी प्रकार का संदेह नहीं हैं। भौतिक सत्यापन पर 1 क्विंटल 60 किलो गेहूॅ कम मिला, 429 क्विंटल पर 1.60 क्विंटल गहूॅ की कमी छिजत से नहीं हो सकती हैं एवं दुसरा जो केरोसीन के मामले में जो उदाहरण दिया गया है कि गेहूॅ दुसरी दुकान से प्राप्त करते है वहॉ पर केरोसीन की भी रसीद कट जाती हैं। यह तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है एवं चीनी के अधिक होने का भी कोई कारण नहीं बताया गया हैं। विपक्षी द्वारा केरोसीन एवं चीनी का स्टॉक के मुकाबले गोदाम में अधिक होने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। नाही गेहूॅ कम होने का कोई ठोस कारण बताया गया। दुकान पर वांछित सूचनाऍ प्रदर्शन बोर्ड आदि का भी प्रदर्शन किया हुआ नहीं था। मासिक विवरणी की द्वितीय प्रति भी उपलब्ध नहीं करवायी। खाद्य सुरक्षा सुची भी चस्पा नहीं थी। इस प्रकार मैसर्स जय वैभव लक्ष्मी महिला गृह उद्योग सहकारी समिति, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कानपुर, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित गंभीर अनियमितताऍ कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 11, 17 सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं। साथही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के क्लॉज 10(4)(ii), 10(7) व 11(3) का उल्लंघन किया हैं। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए का स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 176.5 लीटर नीला केरोसीन तथा 1 क्विंटल चीनी राज्यसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त जब्त सामग्री 176.5 लीटर नीला केरासीन तथा 1 क्विंटल चीनी को पॉस मशीन के माध्यम से वैध उपभोक्ताओ को वितरण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति वास्ते पालनार्थ न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर,
उदयपुर